कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) बैकुण्ठपुर,
जिला–कोरिया (छ0ग0)

(07836 232721(कार्यालय) 232722(फैक्स) ई मेल lr-koriya.cg@gov.in)

// निविदा के नियम एवं शर्तें //

क्रमांक/1440/भू–अभि0/लेखा/2017, बैकुण्ठपुर, दिनांक 30/11/2017

राजस्व अभिलेखो का राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत कोरिया जिले के पुराने राजस्व अभिलेखों का रखरखाव हेतु सभी तहसील स्तर पर माडर्न रिकार्ड रूम में अग्निशामक यंत्र एवं बायोमेट्रिक डोर लगाने हेतु निम्न शर्तो के अध्याधीन सीलबंद निविदा दिनांक 20.12.2017 को समय 4:00 (सायं) बजे तक आमंत्रित की जाती है, निविदा की नियम व शर्ते निम्नानुसार है –

नियम व शर्ते :–

1. अग्निशामक यंत्र एवं बायोमेट्रिक डोर लगाने हेतु कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप निविदा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. अग्निशामक यंत्र एवं बायोमेट्रिक डोर अच्छी क्वालिटी का होना अनिवार्य होगी।
3. निविदा जमा करने वाली कंपनी/फर्म का जीवित पंजीयन वाणिज्यकर विभाग छत्तीसगढ़ से होना अनिवार्य है।
4. निविदा जमा करने वाली कंपनी/फर्म को निविदा के साथ आयकर विवरण पत्रक वित्तीय वर्ष 2016–17 का प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. निविदा जमा करने वाली कंपनी/फर्म को अग्निशामक यंत्र एवं बायोमेट्रिक डोर लगाने हेतु 2 वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य है। पूर्व में की गई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। (कार्यादेश की प्रति मान्य नहीं होगी।)
6. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) कोरिया के नाम पर देय होगा। (जो वित्तीय लिफाफा "ब" का अंदर रखा जावेगा)
7. अग्निशामक यंत्र एवं बायोमेट्रिक डोर लगाने हेतु कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था निविदाकार के द्वारा किया जाना होगा, इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जावेगी। इस कार्य हेतु कुशल श्रमिकों की सूची संलग्न करना अनिवार्य होगी।
8. कार्य समय सीमा में पूर्ण करने का दायित्व निविदाकार का होगा। कार्य पूर्ण करने की अधिकतम सीमा 10 माह की होगी। समय सीमा में कार्य नहीं करने पर पेनाल्टी के रूप में प्रतिदिन 100/– की दर से राशि कटौती की जावेगी।
9. निविदाकार को वाणिज्यकर विभाग द्वारा जारी कर चुकता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। चालान की प्रति मान्य नहीं होगी।
10. कार्य गुणवत्ता अनुरूप नहीं होने की स्थिति में कुल भुगतान राशि में से 3 प्रतिशत की दर से कटौती करने का अधिकार कलेक्टर कोरिया को होगा।
11. प्रस्तुत निविदा करो के संबंध में नेगोशिएशन का अधिकार कलेक्टर कोरिया को होगा।
12. जिस निविदाकार फर्म का निविदा स्वीकृत नही होगा, उसको अमानत राशि लौटा दी जावेगी और जिसकी निविदा स्वीकृत होगी उसकी अमानत राशि अनुबंध कार्य पूर्ण होने के पश्चात् देय होगी।

13. स्वीकृत निविदाकार द्वारा यदि किसी कारण से अपनी निविदा वापस ले लिया जाता है या निविदा के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में अमानत राशि राजसात कर दी जायेगी और फर्म के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार [illegible] जावेगी।

14. जिस फर्म का निविदा दर स्वीकृत किया जाता है उसे 03 दिवस के भीतर 100/- के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करने के पश्चात ही कार्यादेश जारी करने पर कार्यालय कोरिया (भू-अभिलेख शाखा) के निर्देशानुसार जिले के तहसीलों में निविदा कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।

15. निविदा/कार्यादेश अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर कोरिया में निहित होगा एवं किसी भी प्रकार विवाद की स्थिति में कलेक्टर कोरिया का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी न्यायालयीन वाद उत्पन्न होने पर उसका क्षेत्र जिला कोरिया में होगा।

16. निविदा की दर स्वीकृत होने पर फर्म को राशि का भुगतान कार्य प्रगति के आधार पर 3 किस्तों मे की जावेगी। प्रथम किस्त में 30 प्रतिशत राशि का भुगतान, द्वितीय किस्त में 30 प्रतिशत राशि का भुगतान एवं अंतिम किस्त में 40 प्रतिशत राशि की भुगतान [illegible] जावेगी। राशि के भुगतान करने के पूर्व संबंधित फर्म द्वारा किये गये कार्य का [illegible] कराना अनिवार्य होगी।

17. संबधित फर्म को भुगतान किए जाने वाले राशि में से नियमानुसार वेट टैक्स/ टी0डी0एस0 की कटौती कर भुगतान किया जावेगा।

18. जो निविदा से निर्धारित अवधि के पश्चात व्यक्तिगत अथवा डाक से प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

19. **निविदाकार को निविदा दो लिफाफा "अ" में तकनीकी अर्हता और "ब" में वित्तीय दर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "अ" में तकनीकी अर्हता जैसे वित्तीय वर्ष 2015-16 का आयकर विवरण पत्रक, वाणिजयकर विभाग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, वाणिज्यकर विभाग का कर चुकता प्रमाण पत्र, पिछले 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, कर्मचारियों की सूची, अमानत राशि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। लिफाफा "अ" की जानकारी सही नहीं पाये जाने पर लिफाफा "ब" नहीं खोला जावेगा। लिफाफा "अ" एवं "ब" पर स्पष्ट रूप से लिफाफा "अ" एवं "ब" लिफाफा की पहचान के लिये लिखना अनिवार्य होगा।**

कलेक्टर
कोरिया (छ0ग0)

प्रपत्र–अ–तकनीकी अर्हता

प्रति,

कलेक्टर

(भू–अभिलेख शाखा), बैकुण्ठपुर

जिला–कोरिया (छ0ग0)

विषय :– तकनीकी अर्हता प्रस्तुत करने बाबत्।

1– निविदा ज्ञापन नबर – ....

2– निविदाकर्ता के नाम एवं संपूर्ण पता/फोन नं0– ....

– ....

– ....

3– कम्पनी/फर्म का नाम – ....

4– कम्पनी/फर्म का वाणिज्य कर विभाग द्वारा – ....
पंजीयन नं0 का सत्यापित प्रति संलग्न करें ....

5– वाणिज्यकर पंजीयन का कर चुकता प्रमाण पत्र– ....
सत्यापित प्रति संलग्न करें

6– कार्य से संबंधित उपकरण एवं कर्मचारियों – ....
की उपलब्धता की जानकारी की सूची संलग्न करें ....

7– कार्य का अनुभव दो वर्ष का – ....
(यदि कोई प्रमाण पत्र हो तो उसकी प्रति संलग्न करें) ....

8– कलेक्टर के नाम पर अमानत राशि 10,000/–का– ....
बैंक ड्राफ्ट नं0 एवं दिनांक

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

मै ....शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ, कि इस निविदा पत्र की सभी प्रविष्ठि भली भाँति पढ़ लिया है जोकि पूर्ण सत्य है। मैं निविदा की शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ।

दिनांक– ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

टीप– प्रपत्र "अ" को वांछित जानकारी/दस्तावेज के साथ लिफाफा "अ" के अंदर रखकर प्रस्तुत करना होगा।

प्रपत्र–ब–वित्तीय दर

प्रति,

कलेक्टर

(भू–अभिलेख शाखा), बैकुण्ठपुर

जिला–कोरिया (छ0ग0)

विषय :– **दर प्रस्तुत करने बाबत।**

फर्म का नाम – ....

निविदाकार का नाम – ....

अग्निशामक यंत्र एवं बायोमेट्रिक डोर स्थापित करने हेतु प्रस्तुत दर निम्नानुसार है :–

स0क0	स्थान	मॉडल	मात्रा	दर रूपयों मे
1	Baikunthpur	अग्निशामक यंत्र एव बायोमेट्रिक डोर		
2	Sonhat	--"--		
3	Khadgaon	--"--		
4	Manendragarh	--"--		
5	Bharatpur	--"--		

टीप– प्रपत्र "ब" को वांछित वित्तीय दर के साथ लिफाफा "ब" के अंदर रखकर प्रस्तुत करना होगा।

दिनांक– ....

निविदाकार का मानक हस्ताक्षर

(सील सहित)